कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :–

कार्यालय आदेश

पूर्व में तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यो के कार्यादेश जारी किये गये थे परन्तु विधानसभा चुनाव व तत्पश्चात् लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं तत्पश्चात् प्राधिकरण की वित्तिय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाये थे। प्राधिकरण के तीनों अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा ऐसे 187 कार्यो की सूची पेश कर मार्गदर्शन मांगा गया। इस बाबत् प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों की एक समिति गठित कर रिपोर्ट चाही गई थी। समिति की अभिशंषा अनुसार इन कार्यो के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1. शासन उप सचिव (प्रथम) नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 18(1)नविवि / 1 / 2003 दिनांक 21.05.09 के अनुरूप गैर राजकीय सम्पत्तियों के जो कार्य प्रारम्भ नहीं हुये है उन्हे अब प्रारम्भ नहीं कराया जावे। ऐसे कार्य निरस्त किये जावें।
2. जनहित में सी.सी. रोड़, बी.टी. रोड़, नालियों एवं सीवर लाईन के कार्य प्रारम्भ करवाये जायें। किन्तु वे कार्य ही प्रारम्भ करवाये जावे जिसमें संबंधित अधिशाषी अभियन्ता जांच कर निम्न बिन्दुओं पर सन्तुष्ट हो :–
   - I. प्रारम्भ करवाये जाने वाले कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृत उपलब्ध है।
   - II. कार्य का विस्तृत तकमीना व नक्शा आदि संलग्न है व तकनीकी स्वीकृति जारी है। लोक निर्माण वित्तिय एवं लेखा नियमों की सभी पालना कर ली गई है एवं नियमानुसार कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।
   - III. प्रारम्भ करवाया जाने वाला कार्य जनहित का एवं गुणावगुण के आधार पर कार्य करवाया जाना चाहिए।
   - IV. कार्य भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाऐं जैसे :– आई.एच.एस.डी.पी. एव यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. में नहीं लिया गया है।

कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त बिन्दुओं पर अधिशाषी अभियन्ता पत्रावली में अपनी रिपोर्ट प्रमाणित करना सुनिश्चित करेंगें। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति / कार्यादेश राशि के अन्दर ही पूर्ण हो।

अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा अभी तक प्रारम्भ नहीं करवाये जाने वाले 187 कार्यो की सूचियां पेश की है। अतः यह ध्यान रखा जावें कि कोई भी ऐसा कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया जावें जो अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूची में शामिल नहीं है।

लोक निर्माण वित्तिय एवं लेखा नियमों की कड़ाई से पालना की जावें एवं समस्त कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत की जावें।

शेष अन्य सभी कार्य निरस्त किये जावें।

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक :– 834 से 841

दिनांक :– 29/06/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर